पटना में दिनांक–17 दिसम्बर, 2014 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह (विशेष) विभाग

1. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा अंतर्गत जिला समादेष्टा संवर्ग में जिला समादेष्टा के 11 (ग्यारह) पदों को प्रत्यार्पित करते हुए वरीय जिला समादेष्टा के 11 (ग्यारह) पदों के सृजन के संबंध में।	1. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

2. ऊर्जा विभाग के अधीन ब्रेडा कार्यालय में सौर ऊर्जा की बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं नई ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं में (Project Management Unit) परियोजना प्रबंधन यूनिट के तहत योजना कार्यान्वियन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में वार्षिक अनुमानित कुल रूपये 33,00,000/–(तैंतीस लाख रूपये) के व्यय पर ब्रेडा कार्यालय में विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	2. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

3. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा जलापूर्ति के लिए 22 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल 4549.282 लाख (पैंतालीस करोड़ उनचास लाख अठाईस हजार दो सौ रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति।	3. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

4. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 38 जिलों में 21188 सस्टेनेबल चापाकलों (इंडिया मार्क–II पम्प के साथ) के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल 11687.713 लाख (एक सौ सोलह करोड़ सतासी लाख एकहत्तर हजार तीन सौ रूपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति।	4. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 38 जिलों में 86820 साधारण चापाकल, 5625 भू–जल स्तर में गिरावट के कारण बंद साधारण चापाकलों का रिहैबलीटेशन/रेजुवेनेशन, 1700 साधारण चापाकल का रेज्ड प्लेटफार्म के साथ रिहैबलीटेशन, 9460 चापाकल (इंडिया मार्क–III पम्प के साथ) की साधारण मरम्मति प्लेटफार्म एवं नाली के साथ, 3965 चापाकलों के इंडिया मार्क– III/II पम्प के साथ औसतन 9 मीटर राईजर पाईप बढ़ाने/बदलने का कार्य तथा 2210 ड्रिल्ड चापाकलों का प्लेटफार्म एवं नाली के साथ साधारण मरम्मति अर्थात् कुल 1,09,780 चापाकलों की साधारण मरम्मति हेतु रू० 2423.70 लाख (चौबीस करोड़ तेईस लाख सत्तर हजार रूपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

6. पथ प्रमंडल, बेगूसराय अन्तर्गत चकिया से एन० एच०–31 (लखमिनिया, बलिया) भाया गुप्ता लखमिनिया बाँध (बेगूसराय बाईपास) पथ के कि०मी० 1.00 से 36.41 तक (कुल 36.41 कि०मी० पथ लंबाई) में पी०सी०सी० कार्य, पथ फर्निचर कार्य, सर्विस पथ निर्माण कार्य, बॉक्स कल्भर्ट निर्माण कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 6348.03 लाख (तिरेसठ करोड़ अड़तालीस लाख तीन हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से परिचारिका श्रेणी 'ए' के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

8. 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा एवं पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में "नालन्दा धरोहर पर्यटन योजना" के कार्यान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–582, दिनांक–04.03.2014 से निर्गत 22.00 करोड़ रूपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2014–15 में अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 33 डायट के लिए केन्द्रांश ₹ 122.02 लाख (एक करोड़ बाईस लाख दो हजार) रूपये एवं राज्यांश ₹ 40.67 (चालीस लाख सरसठ हजार) रूपये कुल ₹ 162.69 (एक करोड़ बासठ लाख उनहत्तर हजार) रूपये, 6 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के लिए केन्द्रांश ₹ 12.00 लाख (बारह लाख) रूपये एवं राज्यांश ₹ 4.00 (चार लाख) रूपये कुल ₹ 16.00 लाख (सोलह लाख) रूपये, राज्य शिक्षा एवं शोध परिषद के लिए केन्द्रांश ₹ 37.50 लाख (सैंतीस लाख पचास हजार) रूपये एवं राज्यांश ₹ 12.50 लाख (बारह लाख पचास हजार) कुल ₹ 50.00 लाख (पचास लाख) एवं चार बाईट के लिए केन्द्रांश ₹ 2730.00 (सत्ताईस करोड़ तीस लाख) एवं राज्यांश ₹ 910.00 लाख (नौ करोड़ दस लाख) अर्थात् कुल ₹ 3868.69 लाख (अड़तीस करोड़ अड़सठ लाख उनहत्तर हजार) रूपये, जिसमें केन्द्रांश ₹ 2901.52 लाख (उनतीस करोड़ एक लाख बावन हजार) एवं राज्यांश ₹ 967.17 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख सतरह हजार) है, की स्वीकृति एवं इस राशि की विमुक्ति की स्वीकृति।

9. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10. माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या--3415/97, एल०पी०ए०संख्या–709/2013 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय,नई दिल्ली द्वारा एस० एल० पी० संख्या– 4806/2014 में पारित न्यायादेशों के आलोक में बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालय, एम० जे०एम० कॉलेज, कटिहार में वर्ग– III के 04 पद तथा वर्ग–IV के 03 पद अर्थात शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 07 पदों के सृजन के संबंध में।

10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2014–15 में माध्यमिक विद्यालयों से विहीन पंचायतों में 1000 (एक हजार) उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु ₹ 115000.00 लाख (ग्यारह अरब पचास करोड़) के व्यय की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 30000.00 लाख (तीन अरब) की विमुक्ति की स्वीकृति।

11. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

12. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014

12. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

13. बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना, फेज–IV (a), जिसकी प्राक्कलित राशि 7433 (सात हजार चार सौ तैंतीस) लाख रूपये है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. मधुबनी जिलान्तर्गत अंचल लखनौर के मौजा लखनौर, थाना नं०–247, खाता नं०–1003, खेसरा नं०–5589 के कुल रकवा लगभग 20 डिसमिल भूमि में से 12½ डिसमिल भूमि सैनिक श्री राजकान्त मिश्र, साकिन–लखनौर, अंचल–लखनौर के साथ 10 रू० वार्षिक लगान अलावे सेस के भुगतान (जो बंदोबस्ती की तिथि से वसूली जाय) पर बंदोबस्त किये जाने के संबंध में।

14. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखोपुरसराय अंचल के मौजा–खुड़िया, थाना सं०–05, खाता सं०–30, खेसरा सं०– 841, रकबा–7.00 (सात) एकड़ गैर मजरूआ आम (कुम्हरी नदी की भूमि) पोलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण।

15. स्वीकृत।

कृषि विभाग

16. C.W.J.C No.-8302/2002 एवं समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर L.P.A एवं S.L.P खारीज हो जाने फलस्वरूप C.W.J.C No.-3900/1999 एवं अन्य समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य के राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीनस्थ संस्थानों के लिपिक, लिपिक–सह–टंकक/टंकक–सह–लिपिक में से मात्र जो उपर्युक्त वाद में आवेदक है, को विश्वविद्यालय मुख्यालय के सहायकों के समान 01.03.1982, 01.04.1983, 01.01.1986, 01.01.1996 तथा 01.01.2006 से अनुमान्य वेतनमान/वेतन संरचना हेतु निर्गत कृषि विभागीय संकल्प संख्या–758, दिनांक–07.02.2013 के आलोक में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के वादियों के बकाये भुगतान के लिए रू० 5,25,56,577.00 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ सतहत्तर रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

16. स्वीकृत।

कृषि विभाग

17. C.W.J.C No.-8302/2002 एवं समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर L.P.A एवं S.L.P खारीज हो जाने फलस्वरूप C.W.J.C No.-3900/1999 एवं अन्य समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य के राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीनस्थ संस्थानों के लिपिक, लिपिक–सह–टंकक/टंकक–सह–लिपिक में से मात्र जो उपर्युक्त वाद में आवेदक है, को विश्वविद्यालय मुख्यालय के सहायकों के समान 01.03.1982, 01.04.1983, 01.01.1986, 01.01.1996 तथा 01.01.2006 से अनुमान्य वेतनमान/वेतन संरचना हेतु निर्गत कृषि विभागीय संकल्प संख्या–758, दिनांक–07.02.2013 के आलोक में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के वादियों के बकाये भुगतान के लिए रू० 3,60,65,643.00 (तीन करोड़ साठ लाख पैंसठ हजार छः सौ तैतालीस रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

17. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

18. राज्य के छः बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 300/–रू० प्रति माह से बढ़ाकर 800/–रू० प्रति माह निर्धारित करने एवं बढ़े हुए छात्रवृत्ति दर पर वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 13.824 लाख (तेरह लाख बेरासी हजार चार सौ) रूपये व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

18. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

19. राज्य में चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के निवारण हेतु पेराई सत्र 2014–15 के लिए चीनी उद्योग को आर्थिक प्रोत्साहन एवं राज्य के किसानों को उनके ईख मूल्य में 5.00 रू० प्रति क्विंटल के दर से बोनस उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति।

19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

20. गया जिला के खिजरसराय प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महकार, जहानाबाद जिलान्तर्गत रतनीफरीदपुर प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शकुराबाद तथा पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा–II प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाल्मिकीनगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करते हुए IPHS मानक के अनुसार विभिन्न कोटि के कुल 28x 3=84 (चौरासी) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

20. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण)

21. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के नियंत्रणाधीन बिहार भोकेशनल ट्रेनिंग स्टेट सोसाइटी के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले कुल 06 (छः) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

22.(क) औ०प्र० संस्थानो के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन योजनान्तर्गत महिला औ० प्र० संस्थान, बेगूसराय, फारबिसगंज, सुपौल एवं जहानाबाद के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल/ आवास, कैन्टीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, स्थल विकास एवं चहारदिवारी का निर्माण कार्य के व्यय की स्वीकृति तथा — 22. स्वीकृत।

(ख) औ०प्र० संस्थानों के भवनों का निर्माण (वित्त आयोग की अनुशसा के आलोक में) योजनान्तर्गत महिला औ०प्र० संस्थान, सीवान एवं मुंगेर के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल/आवास, कैन्टीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, स्थल विकास एवं चहारदिवारी का निर्माण कार्य तथा औ० प्र० संस्थान, जहानाबाद के प्रशासनिक भवन कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैन्टीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, स्थल विकास एवं चहारदिवारी का निर्माण कार्य हेतु अनुज्ञेय सीमा की राशि (20 प्रतिशत के अधीन) का व्यय की स्वीकृति।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(मत्स्य)

23 चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय प्रोटीन मिशन योजनान्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी, नये तालाब निर्माण तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन के लिए कुल ₹ 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रूपए) के व्यय के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् के स्वीकृति के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

कृषि विभाग

24. वर्ष 2014–15 में कृषि रोड मैप के लक्ष्य को पूरा करने हेतु कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत 10000 लाख राज्य योजना मद से व्यय, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानो के लिए अनुदान दर एवं अधिकतम सीमा में वृद्धि तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए भूधारिता की सीमा में कमी करने एवं सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए तीन कृषि यंत्रों यथा पावर टीलर, जीरो टिलेज/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील एवं कम्बाईन हार्वेस्टर के अनुदान दर में वृद्धि की स्वीकृति करने के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

कृषि विभाग

25. कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग करने हेतु प्रत्येक दो पंचायतों पर एक तथा प्रत्येक जिला में अवकाश रक्षित के रूप में पाँच कुल 4391 पदों पर कृषि समन्वयक की नियुक्ति हेतु "कृषि समन्वयक (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2014 स्वीकृति के उपरान्त कृषि समन्वयक की पहली नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को एक बार शिथिल करते हुए अनुभव प्राप्त नियोजित कृषि समन्वयकों के सीधी नियुक्ति में एक बार मौका दिये जाने के संबंध में।

25. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

26. वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर व्यक्तियों एवं छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करने के लिए डॉ० अम्बेदकर फाउण्डेशन, बिहार (Dr. Ambedkar Foundation, Bihar) की स्थापना सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1860 के अंतर्गत निबंधित कर गठन, संगम–ज्ञापन (Memorandum of Association) तथा नियमावली (Bye-laws) पर तथा पदों के सृजन के प्रस्ताव की स्वीकृति।

26. स्वीकृत।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

27. राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालक उच्च विद्यालय, महकार, गया में 560 आसन वाले नये आवासीय विद्यालय का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा चयनित वास्तुविद मेसर्स सेन एण्ड लाल कन्सलटेट प्रा०लि०, पटना द्वारा तैयार किये गये मॉडल नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार ₹ 17.55 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति, निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के माध्यम से कराने एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 1/–(एक रूपये) के टोकन व्यय पर पदों के सृजन एवं स्वीकृति का प्रस्ताव है।

27. मात्र पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

28. राज्य के देहाती क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में कम से कम 10 वर्षों से वास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वैसे वास भूमि रहित परिवारों, जो शहरी गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हों तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास राज्य या राज्य के बाहर वास भूमि अथवा आवास उपलब्ध न हों, को वास भूमि उपलब्ध कराने संबंधी नीति की स्वीकृति।

28. स्वीकृत।